न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बीट्रेटर, श्रीगंगानगर

विविध रैफरेंस प्रकरण संख्या 11/2017(GCMS 2017/00248)

जसविन्द सिंह पुत्र श्री माला सिंह जाति जट सिख निवासी भगवानसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

बनाम

1. **भारत संघ** जरिये सचिव, सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली
2. **प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवं सुपररिटैन्डैंट इंजीनियर** (एन.एच.), बीकानेर वृत्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कार्यालय बीकानेर (राजस्थान)
3. **सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी** (एन.एच.), अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.07.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री दिनेश छाबड़ा एवं अप्रार्थीगण की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के 173/000 किमी से 248/650 किमी तक के सैक्शन के सड़क चौडी करने हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गयी। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही मे प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार की भूमि चक 1 एसजीएम तहसील सूरतगढ़ के मुरब्बा नं. 48 का किला नम्बर 16 ता 18 एवं किला नं. 23 में कुल 0.4865है. भूमि अवाप्त की गयी थी।

उनका आगे यह भी कथन है कि सक्षम अवाप्ति अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ ने अपने विवेकानुसार दिनांक 10.02.2016 को अवाप्ताधीन भूमि का मुआवज़ा 2,25,89,[illegible]08/- रूपये निर्धारित करते हुए आवेदिका की अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा 1,29,54,865/- रूपये निर्धारित करते हुए अवार्ड जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:25 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि अवार्ड दिनांक 10.02.2016 पारित होने के पश्चात दिनांक 10.03.2016 को श्रीमानजी (आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर) ने सक्षम अधिकारी (एनएच) एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ को गुणावगुण के आधार पर नियमों के अन्तर्गत अवार्ड राशि की गणना को उचित माना था।

उनका आगे यह भी कथन है कि दिनांक 26.09.2016 को अधिशाषी अभियन्ता, सानिवि, राउमा, खंड बीकानेर द्वारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग अधिनियम की धारा 3जी(5) के अन्तर्गत पारित अवार्ड दिनांक 10.02.2016 से असहमति व्यक्ति करते हुए श्रीमान्जी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर श्रीमानजी ने अपने निर्णय दिनांक 05.10.2016 से अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ को संशोधित अवार्ड जारी करने के आदेश दिये। श्रीमानजी के आदेश दिनांक 05.10.2016 बिना आवेदिका को तलब किये एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि श्रीमानजी द्वारा आर्बिट्रेटर की हैसियत पारित आदेश की पालना में अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ ने पुनः 22.12.2016 को 194.56 करोड़ का अवार्ड पारित किया गया। मध्यस्थ की शक्तियों का प्रयोग एक बार ही किया जा सकता है ना कि बार बार और यदि एक पक्ष मध्यस्थ के आदेश से सन्तुष्ट ना हो तो वह आगे कार्यवाही संस्थित कर सकता है, इसलिए श्रीमानजी द्वारा मध्यस्थ के रूप में आदेश दिनांक 05.10.2016 एवं अति. जिला कलक्टर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 22.12.2016 अन्तिम हो गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ द्वारा आर्बिट्रेटर अवार्ड दिनांक 05.10.2016 की पालना में पुनः एक अवार्ड दिनांक 27.03.2017 को पारित कर दिया। उक्त अवार्ड दिनांक 27.03.2017 में आवेदिका की अवाप्त की भूमि की

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:25 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मुआवजा राशि अत्यधिक न्यून बिना किसी युक्तियुक्त आधार के एवं राईट टू फेयर कम्पनसेशन एक्ट के प्रावधानों के विपरीत जाकर अधिग्रहित की जा रही भूमि के बाजार दर एवं उसकी उपयोगिता को नजर अंदाज करते हुए निर्धारित कर दी। अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ एवं सक्षम प्राधिकारी अवार्ड दिनांक 27.03.2017 को पारित करने में सक्षम नहीं थे इसलिए अवार्ड दिनांक 27.03.2017 विधि के प्रावधानों के विपरीत एवं क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण अपाप्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अवार्ड दिनांक 27.03.2017 से असन्तुष्ट होकर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत श्रीमानजी के समक्ष एक प्रकरा संख्या 01/2017 अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय उच्च मार्ग अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। जिसमें दिनांक 28.08.2017 को निर्णय पारित किया और और सक्षम प्राधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ ने दिनांक 01.09.2017 को अवार्ड पारित कर दिया।

उनका आगे यह भी कथन है कि अवार्ड दिनांक 27.03.2016 उपं इिलरंक 01.09.2017 बिना प्रार्थी को सुने एवं बिना साक्ष्य लिये पारित किये गये है। अवार्ड में प्रार्थी की भूमि से चिपती काश्तकार रीटा देवी को बारानी भूमि की अवाप्ति का मुआवजा पांच हजार रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से औद्योगिक विभव मानते हुए दिया गया है जबकि प्रार्थी की भूमि, जो कि रीटा देवी की भूमि से चिपती हुई, एवं नाली किस्म की है, का मुआवजा लगभग बारानी भूमि की डी.एल.सी. दर के तृतीय भाव से पारित किया जाकर गई पारित अवार्ड दिनांक 10.02.2016 एवं 22.12.2016 में वर्णित दरों से लगभग 90 प्रतिशत कम कर दिया गया है। जबकि प्रार्थी की अधिग्रहित की जा रही भूमि अन्य पड़ोसी काश्तकारों की भूमि से अत्यधिक **उपयोगी एवं** औद्योगिक विभव की है, ऐसी स्थिति में पांच रूप्ये प्रति **वर्गमीटर की दर से** कम से कम मुआवजा निर्धारित किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:25 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी की अवाप्त की गयी भूमि के सम्बन्ध में अवार्ड दिनांक 10.02.2016 अन्तिम हो चुका है जिसे किसी भी पक्षकार द्वारा चुनौती नहीं दी गयी एवं इसके बावजूद भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत प्रार्थी की भूमि को सम्मिलित करते हुए एवं पूर्व मुआवजा राशि जो कि अत्यधिक न्यून थी एवं जिसे अन्डर प्रोटेस्ट प्राप्त कर अपनी मुआवजा बढ़ाने की कार्यवाही करने का विधिक अधिकार प्रार्थी का सुरक्षित था, को अत्यधिक कम करते हुए अवार्ड दिनांक 01.09.2017 पारित किया गया है अवार्ड दिनांक 01.09.2017 राष्ट्रीय उच्च मार्ग अधिनियम एवं राईट टू फेयर कम्पनसैशन एक्ट के प्रावधानों एवं मंशा के प्रतिकूल होने के कारण अपास्त किये जाने एवं पूर्व में पारित अवार्ड दिनांक 10.02.2016 विकल्प में 22.12.2016 अन्तिम हो जोन के कारण उक्त अवार्ड प्रार्थी की हद तक अन्तिम कर प्रार्थी को मुआवजा राशि, प्रार्थी के विधिक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए अण्डर प्रोटेस्ट दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि मध्यस्था अधिनियम एवं राष्ट्रीय उच्च मार्ग अधिनियम 1956 के तहत माननीय आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 28.08.2017 को निर्णय किया गया था, जिसकी पालना में सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 01.09.2017 को अवार्ड पारित कर दिया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेशों को पुनः समीक्षा करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि निर्णय दिनांक 28.08.2017 व पारित अवार्ड पांच अन्य काश्तकारों द्वारा पेश की गई आपत्तियों की सुनवाई करते हुए दिया गया था। यदि पक्षकारों को [illegible] न्यायालय द्वारा पारित अवार्ड के विरूद्ध कोई आपत्ति है तो [illegible] न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता **अधिनियम के तहत** [illegible] कार्यवाही कर सकते है। श्रीमान् न्यायालय को इन **प्रकरणों में पुनः सुनने का कोई प्रावधान नहीं है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:25 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि पक्षकारों द्वारा श्रीमान् न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपर जिला न्यायालय प्रथम, श्रीगंगानगर में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत एवं माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्रकरण दायर कर रखे है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा श्रीमानजी के समक्ष उन्हीं बिन्दुओं को उठाया गया है जिन पर पूर्व में निर्णय दिया जा चुका है। यदि वर्तमान मामले में माननीय न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है तो पूर्व मे निर्णित फैसला दिनांक 28.08.2017 मे बदलाव होता है तो वाद की बाहूल्यता बढ़ेगी, जिससे पक्षकारों को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा।

उनका आगे यह भी कथन है कि श्रीमानजी के आदेश दिनांक 28.08.2017 की पालना में सक्षम प्राधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 01.09.2017 के अनुसार अवार्ड की राशि अपनी सहमति से प्राप्त की जा चुकी है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सक्षम प्राधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 10.02.2016 राशि 225,89,95,108 अधिकारातीत होने के कारण श्रीमानजी के समक्ष 26.09.2019 को आर्बीट्रेशन आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसका अन्तिम निर्णय दिनांक 28.08.2017 को हुआ है।

उनका आगे यह भी कथन है कि श्रीमानजी के समक्ष दिनांक 26.09.2019 व 01.05.2017 को आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें सभी 153 अनावेदकों को नोटिस [illegible] निर्णय नहीं किया गया था।

उनका आगे यह भी कथन है कि सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 27.03.2017

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:25 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 व रिफ्लेक्टर अधिनियम 2013 के अनुसार नही होने के कारण श्रीमानजी के समक्ष दिनांक 01.05.2017 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसका अन्तिम निर्णय दिनांक 28.08.2017 को हुआ। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 28.08.2017 को निर्णय दिया जा चुका है, जिसकी पालना में सक्षम प्राधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ ने अवार्ड दिनांक 01.09.2017 को पारित किया था। इस आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

मैने, पत्रावली का अवलोकन किया और उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तो पाया कि केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3क की उपधारा (1) के तहत राजस्थान राज्य श्रीगंगानगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15 के 173/000 से 248/650 तक के भूखण्ड (सूरतगढ़ से श्रीगंगानगर खण्ड) का निर्माण (चौडीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन को बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजक के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त विवरण अनुसूचि में दिया गया है। ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आश्य की घोषणा दिनांक 24.01.2014 को जारी की थी और साथ ही इसके लिए सक्षम प्राधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ़ की नियुक्ति की गई थी कि हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों की सुनवाई करेगें और आक्षेपों की सुनवाई करने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में अधिसूचना दिनांक 23.01.2015 जारी की कि उक्त अनुसूचित से संबंधित भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आदेश संख्या आरडब्ल्यू/एनएच 37014/04/2015-एनएच-एलए के दिनांक 24.04.2015 के आदेश से जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी(5) के तहत आर्बीट्रेटर नियुक्त किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:25 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

सक्षम प्राधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ द्वारा इस मामले में सम्बन्धित हितबद्ध व्यक्तियों को सुनकर अवाप्त की जाने वाली 56.8152 है. भूमि के लिए दिनांक 10.02.2016 को एक अवार्ड राशि 2,25,89,95,103.00 रूपये का पारित किया और उक्त अवार्ड को राज्य सरकार द्वारा आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष चुनौति दी गई। जिस पर आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर की राजस्व शाखा के पत्रांक एफ15(5)( )राजस्व/2009पार्ट दिनांक 05.10.2016 की प्रति सक्षम प्राधिकारी एंव अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ को भेजते हुए पुनः संशोधित अवार्ड जारी करने के आदेश दिये गये। आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 05.10.2016 के आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 27.03.2017 को संधोधित अवार्ड राशि 1,38,98,74,940.00/— रूपये का जारी किया गया। जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों एवं भूमि अर्जन, पुर्नवास, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 के विरूद्ध होना मानते हुए उक्त अधिनियम की धारा 3जी(5) के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 01.05.2017 को पेश करने प्रार्थना की थी कि सक्षम प्राधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ द्वारा जारी उक्त अवार्ड दिनांक 27.03.2017 निरस्त किया जावे एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 व भूमि अर्जन, पुर्नवास, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत ही उचित मुआवजा तैय किया जावे।

सक्षम प्राधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ द्वारा जारी उक्त अवार्ड दिनांक 27.03.2017 को [illegible] ने[illegible]ल हाईवे अधिनियम 1956 की धारा 3जी(5) के तहत दिनांक 01.05.2017 [illegible] सक्षत प्राधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ सहित कुल 153 पक्षका[illegible] के विरूद्ध पेश किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:25 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया है कि आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.10.2016 में प्रार्थी को बिना सुने एक पक्षीय अवार्ड पारित किया गया है। वास्तव में आदेश दिनांक 05.10.2016 के द्वारा कोई अवार्ड पारित नहीं किया गया है। दिनांक 05.10.2016 आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर की राजस्व शाखा द्वारा जारी किया गया पत्र है। दिनांक 05.10.2016 यदि कोई आदेश होता तो उसमें प्रकरण संख्या, पक्षकारों के नाम अंकित होते और उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाकर अवार्ड पारित किया गया होता। इसलिए प्रार्थी के दिनांक 05.10.2016 पर उठाये गये समस्त बिन्दु खारिज किये जाते है।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया है कि सक्षम प्राधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 22.12.2016 को अवार्ड पारित कर दिया था दिनांक 27.03.2017 को पुनः अवार्ड जारी क्यों किया गया है। जबकि दिनांक 22.12.2016 को सक्षम प्राधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ द्वारा को अन्तिम अवार्ड जारी नहीं किया गया है। यदि 22.12.2016 को अवार्ड जारी किया गया होता तो उसमें भी समस्त पक्षकारों के नाम एवं प्रकरण संख्या आदि अंकित किया होता है, परन्तु ऐसे कोई नाम/प्रकरण संख्या अंकित नहीं है इसलिए दिनांक 22.12.2016 का आदेश अवार्ड की श्रेणी में नहीं आता है।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी की भूमि से चिपती काश्तकार रीटा देवी को औद्योगिक विभव मानते हुए दिया गया है जबकि प्रार्थी की भूमि को नीील किस्म की का मानते हुए मुआवजा दिया गया है। जबकि पक्षकारों को भूमि अवाप्ति के लिए [illegible] अधिसूचना दिनांक 24.01.2014 को राजस्व अभिलेख में दर्ज रिकार्ड के मुताबिक भूमि की किस्म अनुसार संबंधित खताधारक को मुआवजा दिया है, जो सही है। इसलिए प्रार्थी का यह बिन्दु खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:25 IST
Reason: SelfAttested

Manju
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

सक्षम प्राधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 24.03.2017 को अवार्ड जारी किया गया था, जिसकी पालनो में तत्कालीन आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 28.08.2017 को आदेश जारी किये गये थे, जिसके पेज संख्या 26 के पैरा संख्या 3 व 4 में निम्न आदेश दिये गये थे :

> भूमि अवाप्ति के लिए जारी अधिसूचना दिनांक 24.01.2024 को राजस्व अभिलेख में दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक ही भूमि की किस्म अनुसार संबंधित खाताधारक को ही मुआवजा देय होगा। जिन पक्षकारों द्वारा भूमि का संपरिवर्तन करवाया हुआ है, उनके भू रूपान्तरण आदेश 24.01.2014 के पूर्व का होने की पुष्टि होने के उपरान्त ही मुआवजा राशि देय होगी।
>
> गत अवार्ड दिनांक 27.03.2017 में लगाये गये गुणक तथा परिसम्पतियों का मूल्य यथावत रखा जाता है तथा तोषण व अन्य परिलाभों की परिगणना सक्षम प्राधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ निर्णय की पालना में अधिनियम के अनुसार पुर्नगणना करेगें।

तत्कालीन आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर दिनांक 28.08.2017 को अवार्ड पारित किया गया था, जिसकी पालना में सक्षम प्राधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ ने दिनांक 01.09.2017 को अवार्ड पारित किया गया था।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अवार्ड दिनांक 01.09.2017 से असन्तुष्ट होने के कारण यह **प्रकरण** प्रस्तुत किया है। जबकि सक्षम प्राधिकारी एवं अतिरिक्त **जिला कलक्टर,सूरतगढ़** द्वारा दिनांक 01.09.2017 को अवार्ड आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.08.2017 की पालना में जारी किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:25 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

था। इसलिए प्रार्थी यदि अवार्ड दिनांक 01.09.2017 से असंतुष्ट था तो उसे मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत सक्षम न्यायालय में पेश करना चाहिए था। **आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर** द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.08.2017 की पालना में सक्षम प्राधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर,सूरतगढ़ द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 01.09.2017 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में प्रकरण पेश करने के लिए स्वतन्त्र है। प्रार्थी का प्रार्थना यहां से खारिज किये जाने योग्य है।

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति सक्षम प्राधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर,सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:25 IST
Reason: SelfAttested